क्रमांकः सामान्य/XII/11/1990/5862 दिनांक : 24.11.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।
4. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर राजस्थान को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशन हेतु।
5. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीशों को इस निर्देश के साथ कि अपने न्यायक्षेत्र में स्थित समस्त अधीनस्थ न्यायालयों/विशिष्ट न्यायालयों को सूचित करावें।

24/11/2020

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

****

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर, जिला–जयपुर (राज0)

क्रमांकः 8554-8555 /स्था0 दिनांकः 03 दिसम्बर, 2020

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से प्राप्त आदेश क्रमांक 06/विविध/2020 दिनांक 24.11.2020 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अधीनस्थ न्यायालय (विशिष्ट न्यायालयों सहित) जयपुर जिला, जयपुर न्यायक्षेत्र।
2. सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर को इस न्यायक्षेत्र की वेबसाइट एवं समस्त न्यायालयों को ई–मेल करने हेतु।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर जिला, जयपुर (राज0)

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

:: आदेश ::

क्रमांकः 06 / विविध / 2020 दिनांक : 24.11.2020

इस न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक 13 / ई.वी. / 2019 दिनांक 17.10.2019 द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में शुक्रवार दिनांक 25 दिसम्बर, 2020 से गुरूवार दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक शीतकालीन अवकाश (Winter Holidays) घोषित किया गया है, अतः समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीशों एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय उक्त अवधि में बंद रहेंगे, परन्तु वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के समस्त न्यायालय राजपत्रित अवकाश तथा सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर दिनांक दिनांक 25 दिसम्बर, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में खुले रहेंगे। उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण एवं उक्त न्यायालयों के कर्मचारीगण शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह आदेश दिया जाता है कि दिनांक 25 दिसम्बर, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में पूरे सेशन खण्ड के ऐसे आवश्यक आवेदन पत्र जो सेशन न्यायालय के समक्ष पेश किये जावेंगे या लंबित हैं, उन्हें वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिन्हें भी जिला एवं सेशन न्यायाधीश उक्त प्रयोजनार्थ अधिकृत करें, सुनेंगे एवं निपटायेंगे।

शीतकालीन अवकाश की अवधि में विशिष्ट न्यायालय, एन.डी.पी.एस., सी.बी.आई केसेज, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण , पोक्सों एक्ट प्रकरण न्यायालय भी बंद रहेंगे, लेकिन इन विशिष्ट न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण दिनांक 25 दिसम्बर, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में कम से कम दो बार न्यायालयों में आवश्यक कार्य हेतु बैठेंगे।

अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालय शीतकालीन अवकाश की अवधि में बंद रहेंगे। उक्त अवधि में जमानत एवं निरोध अवधि की अवधि अभिवृद्धि (रिमाण्ड) संबंधी तथा अन्य आवश्यक सिविल मामलों को निपटाने के लिए, संबंधित सम्पूर्ण न्यायक्षेत्र / सेशन खण्ड के एक सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिस किसी को भी जिला एवं सेशन न्यायाधीश आदेश प्रदान करेंगे, उन्हें उक्त अवधि में संबंधित न्यायक्षेत्र / सेशन खण्ड का आवश्यक एवं दैनिक कार्य किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश
प्राप्ति पत्रांक 1888
दिनांक 01-12-20

आज्ञा से
24/11/2020
(दिनेश त्यागी)